यदि यह सरकार सचमुच प्रजातांत्रिक सरकार है तो इसे जनता की मनोकांक्षाओं को अविलम्ब ही कार्यरूप देना चाहिए तथा बहानेबाजी को छोड़ देना चाहिए।

जहां तक केरल वासियों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या डेढ़ करोड़ है तथा वह अपनी समस्याओं को अपने ढंग से हल करना चाहते हैं। अभी नारियल की जटा का मूल्य गिर जाने से केरल के लाखों लोगों को हानि तथा पीड़ा उठानी पड़ी है। आपने उनकी विपदा को दूर करने के लिये क्या किया है? आप हमें राज्य सरकार के पास जाने के लिये कहते हैं, तथा वह कहते हैं कि हम केन्द्रीय सरकार के मश्वरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ भी हो केरल की जनता पीड़ा उठा रही है, तथा हमारा विश्वास है कि केरल की सरकार ही इसे दूर कर सकती है। सदन को मालूम होगा कि त्रावणकोर-कोचीन से ५० करोड़ रुपय के मूल्य का माल निर्यात होता है जो कि भारत के कुल आयात लगभग ८ प्रतिशत है। यदि मालाबार को मिला के एक केरल प्रान्त बनाया जाय तो केरल वासियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

भारत से हमारे अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं। भारत हमारा उतना ही प्यारा है जितना कि किसी देशभक्त का यह हो सकता है। हमारे नेता प्रतिभाशाली हैं किन्तु उन्हें जनता से अधिक प्रतिभाशाली न बनना चाहिये। जनता शक्तिशाली है तथा सामर्थ्यवान है। उस में अपने हितों की रक्षा करने के लिये दूरदर्शिता है। मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि यदि इस विषय को सुलझाने में विलम्ब किया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। यह भारत को कमज़ोर करने का प्रश्न नहीं अपितु इसे बलवान बनाने की बात है; जिस से कि हम अपनी आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें तथा अपने देश के लिये संसार में गौरव का एक स्थान प्राप्त कर सकें।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हूं कि क्या यह वाद विवाद आज समाप्त हो रहा है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी ४५ सदस्यों के नाम हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं केवल पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका निर्णय सदन पर छोड़ता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हम सुझाव देते हैं कि यह जारी रहे।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं यह कहना चाहता था कि यदि सदन की इच्छा हो तो सरकार इसे जारी रखने के लिये हर प्रकार की सुविधा देगी। मैं, इसलिये, वाद विवाद के बीच में बोल रहा हूं। बाकी वाद विवाद का उत्तर मेरे दूसरे सहयोगी दे देंगे।

आरम्भ से ही यह कहा गया कि इस विषय पर बिना किसी भावुकता के तथा पक्षपात के विचार होना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। डा० मुखर्जी ने कहा कि यह एक ऐसा मामला नहीं जिसे किसी पक्ष विशेष का मामला

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समझा जा सकता हैं। मैं उन से भी पूर्णतया सहमत हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि शायद यह अधिक अच्छा होता यदि यह किसी पक्ष विशेष का मामला होता। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि हरेक मामला पार्टीबाजी का मामला बन जाना चाहिये। अपितु आशय यह है कि पार्टी का मामला एक ऐसी चीज होती है जो प्रान्तीयता की भावना को छिन्न भिन्न कर देती है, चाहे यह अच्छी हो अथवा बुरी। कुछ भी हो, कोई भी पार्टी इस पर प्रान्तीयता के आधार पर विचार नहीं करेगी। वस्तुतः यह प्रश्न एक प्रान्तीय प्रश्न है। इसलिये जब एक प्रान्त तथा दूसरे प्रान्त के प्रतिनिधियों के बीच कोई झगड़ा हो तो उस से बहतर यह होता कि यह किसी पार्टी विशेष का मामला होता तथा इस पर किसी सिद्धान्त के आधार पर विचार किया जाता। इस पर विचार करने के कई तरीके हैं, परन्तु प्रान्तीय भावनाओं अथवा भेद भावों के आधार पर इस पर विचार न होना चाहिये।

इस सदन के कवि मदस्य ने अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का उल्लेख किया तथा इस बात की ओर कुछ संकेत किया कि वर्तमान सरकार भी इस मामले में उसी नीति का अनुसरण कर रही है। मझे खद है कि मैं उनकी इस काव्य-कल्पना को नहीं समझ सका हूं।

भाषावार प्रान्तों की रचना के सम्बन्ध में कांग्रेस नीति का बार बार उल्लेख किया गया है तथा एक सदस्य ने यह भी कहा कि मैं कई वर्षों तक जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए उच्च स्वर से भाषावार प्रान्तों का राग अलापता रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि मैंने ऐसा कब किया है। सत्य वह है कि मैं भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में कभी भी उत्सुक नहीं रहा हूं। यह तो एक रहस्य है जो मैं इस सदन के सामने प्रकट कर रहा हूं। प्रांतों के संबंध में मेरे विचार ही कुछ भिन्न हैं। मेरी राय में इस देश में प्रांत बहुत छोटे हो चाहियें, ऐसे प्रांत नहीं जैसे कि आज हमारे यहां हैं, जिनका एक राज्यपाल है, एक उच्च न्यायालय है तथा ऐसी ही और और बातें हैं। परन्तु मेरी आवाज नक्कारखाने में तूती की जैसी आवाज थी, उस समय भी जब कि संविधान सभा इस पर विचार कर रही थी। हम वर्तमान परिस्थितियों के इतने आदि बन गये थे कि हमने अधिकांश रूप से उसी बात का अनुसरण किया जिसके कि हम आदि थे।

जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है लगभग ३० वर्ष पहले यह भाषावार प्रांतों की समर्थक थी। इसके बाद १९४५-४६ में इसके निर्वाचन घोषणा-पत्र में कहा गया :

> "कांग्रेस सदैव राष्ट्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग तथा क्षेत्र की स्वतंत्रता का समर्थक रही है जिससे कि वह अपने जीवन तथा अपनी संस्कृति का विकास कर सके तथा यह बताया जाता है कि इस उद्देश्य के लिये यथासम्भव भाषा तथा संस्कृति के आधार पर प्रादेशिक क्षेत्र अथवा प्रांत बनाये जाने चाहियें।"

यह सात वर्ष पुरानी बात हुई। नवीनतम स्थिति गत साधारण निर्वाचनों के लिये बंगलौर में तैयार किये गये कांग्रेस के निर्वाचन घोषणा-पत्र में दी

गई है। क्या मैं उसे यहां पढ़ कर सुनाऊं ?

"भारत के दक्षिण तथा पश्चिम में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्वितरण के लिये निरन्तर रूप से मांग की गई है। कांग्रेस ने कई वर्ष पहले इसके पक्ष में अपनी सम्मति प्रकट की है। अन्ततोगत्वा इस प्रश्न का निर्णय सम्बन्धित लोगों की इच्छाओं पर ही निर्भर है। जबकि भाषा सम्बन्धी कारणों का निस्संदेह ही सांस्कृतिक तथा अन्य महत्व है। फिर भी आर्थिक, प्रशासकीय तथा वित्तीय तत्व कुछ ऐसे हैं जिन पर को विचार करना होगा। जहां ऐसी मांग सम्बन्धित लोगों के 'सहमत विचारों' का प्रतिनिधित्व करती है, वहां संविधान में निश्चित की गई कार्यवाही, जिसमें कि सीमा आयोग की नियुक्ति भी शामिल है, की जानी चाहिए।"

इस मामले में अधिकांश रूप से सरकार की यही नीति तथा स्थिति है।

आंध्र प्रांत के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बताया कि यदि वहां मत लिये जायं तो ९५ अथवा ९७ प्रतिशत मत इसके पक्ष में आयेंगे। इस बात को पूर्णतया मानता हूं। परन्तु उस से मेरी कठिनाइयां समाप्त नहीं हो जाती हैं। मैं आन्ध्र प्रांत के पक्ष में हूं। परन्तु यदि आप इस विषय के बारे में तथा मद्रास नगर के बारे में आन्ध्रों तथा तामिलियों का मत लेंगे तो क्या होगा ? उस तरह से आप को ९० प्रतिशत मत प्राप्त नहीं होंगे। यह स्पष्ट है कि यदि आप सिद्धांत के आधार पर आन्ध्रों से आन्ध्र प्रांत के बारे में मत ले लेंगे तो वह एक साथ इस के पक्ष में मत दे देंगे। इसी तरह यदि आप कर्नाटक के बारे में मत ले लेंगे तो वह भी ऐसा ही करेंगे। यही हाल महाराष्ट्रियों का होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया अथवा यदि उन से ऐसा करने की आशा नहीं की गई तो इस पर चर्चा करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो हम इस धारणा पर काम करते हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत से लोग अधिकांश रूप से भाषा के आधार पर अलग प्रांत चाहते हैं।

परन्तु दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जहां दो ऐसे क्षेत्र एक दूसरे पर अतिछादी हों तथा जहां इनमें झगड़ा पैदा हो आप उसका कैसे फैसला करने जा रहे हैं ?

श्री नम्बियार (मयूरम) : वहां मत लिये जा सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सम्भवतः। यह भी एक सुझाव है।

इसीलिये आज एक वर्ष पूर्व सरकार की जो नीति बताई गई थी वह यह थी कि जहां इस प्रकार की मांग की जाय वहां सभी सम्बन्धित पक्षों—अर्थात् जिनका अतिछादी तथा सीमा क्षेत्रों से सम्बन्ध है—की सहमति प्राप्त होनी चाहिये, तभी इस बारे में आगे बढ़ा जा सकता है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि यह कठिनाइयां थीं तो कांग्रेस ने १९२७ में अपने मद्रास अधिवेशन में क्यों एक संकल्प पास किया था कि "आन्ध्र, कर्नाटक तथा सिन्ध प्रान्तों को बनाने का समय आ चुका है" ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे माननीय मित्र १९२७ की बात कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : जी हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तब से अब तक बहुत बातें हुई हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह काम करने के लिये समय आज आ पहुंचा है। मैं उस वक्तव्य को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या उस समय आप ने इन कठिनाइयों का विचार नहीं किया था ? यही मेरा प्रश्न है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, निस्सन्देह नहीं। क्योंकि उस समय यह एक व्यवहारिक प्रश्न नहीं था जिसे कि क्रियान्वित किया जा सकता था। उस समय हमने स्वभावतः, एक ऐसी बात को व्यक्त किया जो मूलतः एक स्वस्थ सिद्धान्त का बात थी। परन्तु उसे क्रियान्वित करने में आप को वह कठिनाइयां हल करनी हैं जो कि उत्पन्न होंगी। आप इन्हें कैसे हल कर सकते हैं ? आप इसे मतदान द्वारा हल कर सकते हैं जैसे कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। परन्तु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप इस तरह से भी निपटारा नहीं कर सकते हैं। आप को वह गुत्थियां सुलझाने के लिये उपाय ढूंढने होंगे तथा उस के लिये समुचित वातावरण बनाना होगा।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमें इस नाजुक समय में भारत में एकता की भावना पैदा करने की बात को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा जो भी चीज़ इस कार्य में बाधक बनेगी उसे सम्भवतः कुछ समय के लिये, जब तक कि हम राष्ट्रीयता की दृढ़ आधार शिला रखें, स्थगित रखा जाये। यही कारण है कि मैं ने इस दिशा में क्यों कोई सक्रिय पग नहीं उठाया। यद्यपि मैं ने कई तरह से इस मांग को मान लिया, फिर भी मैं इस से आगे नहीं गया। ढाई वर्ष अथवा उस से कुछ अधिक समय पहले हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आन्ध्र प्रान्त बनाया जाय क्योंकि अधिकांश प्रश्नों का निपटारा हुआ था, वह भी हमारे द्वारा नहीं, अपितु सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा, आन्ध्रों, तामिलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा एक समिति बनाई गई थी तथा स्थानीय सरकार ने लगभग सभी मामले निपटाये थे लेकिन एकाएक हमें पता चला कि कुछेक महत्वपूर्ण मामले, कुछ अत्यन्त ही आवश्यक मामले बिना निपटारे के रह गए हैं; क्या हम कोई फैसला दे के उन्हें स्वीकार करने के लिये मजबूर करते ? यह उस दिन की बात है जब गणतंत्र का नया संविधान लागू किया जाने वाला था, प्रश्न यह था कि क्या हम आन्ध्र प्रान्त को नये संविधान में एक अलग प्रान्त के रूप में शामिल करेंगे अथवा नहीं। सरकार तो इसके लिये बिल्कुल तैयार थी, परन्तु जब अन्तिम क्षण पर झगड़े शुरू होने लगे तो यह मामला फिर धरे का धरा रहा। तो यह विलम्ब ऐसी घटनाओं के कारण हुआ जिन पर कि हमारा कोई काबू नहीं था। मेरे विचार में आन्ध्र प्रान्त बनाने में काफी औचित्य था। इसका निर्माण अवश्यभावी है तथा मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि आन्ध्र लोग इसे चाहते भी हैं।

लकिन जब मद्रास नगर अथवा रायलासीमा के बारे में कोई कठिनाई उप्पन्न होती है तो सरकार के पास दो ही उपाय रह जाते हैं। एक तो यह है कि अच्छा वातावरण तैयार किया जाय तथा पारस्परिक सहमति से सम्बन्धित

पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की जाय दूसरा उपाय यह है कि अपना निर्णय सम्बन्धित पक्षों पर ठोसा जाय, माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यह कितनी बुरी बात होगी यदि सम्बन्धित पक्षों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई फैसला ठोसा जाय। इस से पड़ौसी प्रान्तों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना तथा रोष फैल जायगा। इसलिये यह बहुत ही बेहतर होगा यदि कुछ समय ठहर कर इसे सम्बन्धित पक्षों की सद्भावना तथा सहमति से निपटाया जाय।

यही हमारा तरीका था। तथा मैं निवेदन करता हूं कि यह तरीका ठीक भी है क्योंकि यदि हम दूसरा उपाय प्रयोग में लायेंगे तो इस से झगड़े पैदा होंगे जो कई वर्षों तक चलते रहेंगे। मामूली से मामूली विभाजन से भी सभी प्रकार की कठिनाइयां, आर्थिक प्रशासकीय आदि आदि उत्पन्न होती हैं। बर्मा का विभाजन निस्सन्देह इस से भिन्न था। इस में झगड़े की कोई बात नहीं थी फिर भी इस में दस वर्ष लगे कई बातों को दृष्टि में रखते हुये यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तथा इसके बाद के जो दुर्भाग्य पूर्ण विभाजन हुए वह हम सब जानते ही हैं। उनके परिणामों को देखते हुये हमें भारत का मानचित्र बदलने में कुछ कुछ संकोच होता है। मैं इनका तथा उनका मुकाबिला नहीं कर रहा हूं। किन्तु फिर भी इससे सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है। निस्सन्देह जहां इसकी आवश्यकता है हमें इसे बदल देना चाहिये। मैं यह बात मानता हूं कि कुछेक मामलों में ऐसा करना जरूरी है। परन्तु इस संकल्प को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह न केवल अस्वीकार्य है अपितु आपत्तिजनक भी है। आन्ध्र, महाराष्ट्र अथवा केरल अथवा कर्नाटक से आये हमारे मित्रों के लिये यह ठीक ही है कि वह इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्थापनाएं प्रस्तुत करें जिन्हें कि विचार करने के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि भाषाओं के आधार पर सारे भारत का ढांचा बदल दिया जाय, एक ऐसी बात है जिसका समर्थन कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब सारी व्यवस्था को अस्तव्यस्त करना होगा तथा यह किसी भी समय खतरनाक सिद्ध हो सकता है। विशेषकर एक ऐसे समय में जब कि सारा विश्व एक गम्भीर परिस्थिति में से गुजर रहा है, ऐसा करना एक बड़ी नासमझी की बात होगी।

फिर हमारी एक शानदार विरासत है। निस्सन्देह हम इसे सुधारना चाहते हैं। तथा इसे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करने में यदि हम अत्यधिक पक्षपात तथा प्रान्तीयता को स्थान देंगे तो यह एक खतरनाक बात होगी।

मेरे माननीय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च स्वर से पश्चिमी बंगाल के बारे में बोले। इस में कोई संदेह नहीं कि देश के विभाजन के परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल पर सब प्रांतों से अधिक बोझ आ पड़ा है। मुझे खेद है कि उन्होंने पूर्वी बंगाल से सम्बन्धित अन्य मामलों का भी जिक्र किया। वह तो भिन्न मामले हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या बढ़ गई है इसलिये इसे और क्षेत्र मिलने चाहियें। तार्किक तथा सैद्धान्तिक रूप से यह ठीक प्रतीत होता है। परन्तु ऐसे मामलों में आप सदा तर्कयुक्त नहीं हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से आये माननीय सदस्यों को डा० मुखर्जी की बात पसंद नहीं आई होगी, चाहे वह किसी भी पक्ष से सम्बन्ध रखते हों। मैं तो यह कहने नहीं जा रहा हूं कि कौन गलत है तथा कौन ठीक है।

अभी दो अथवा तीन महीने पहले मैं उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में था। वहां योरखा संस्था की ओर से एक शिष्ट-मंडल मुझ से मिला तथा वह उत्तरी बंगाल में एक गोरखा अथवा नेपाली प्रान्त बनाने की मांग ले के मेरे पास आये थे। मुझे पूरा विश्वास है कि डा० मुखर्जी को यह बात पसन्द नहीं है। इसका आशय इस सीमित बंगाल से भी और क्षेत्र ले जाना है। इस सम्बन्ध में मेरी प्रतिक्रिया क्या है? यह बताने के बजाय मैं सरदार पटेल का वह उत्तर पढ़ के सुनाऊंगा जो उन्होंने इस सदन में एक प्रश्न के सिलसिले में दिया था तथा जिसके साथ मैं पूर्णतया सहमत हूं। जब गोरखा प्रान्त अथवा उत्तराखंड का प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने कहा :

> "उत्तर बंगाल में उत्तराखंड बनाने की मांग को भारत सरकार मिथ्या, दुर्विचारित तथा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल समझती है। भारत सरकार का पक्का इरादा है कि वह ऐसे किसी प्रान्त के निर्माण से सम्बन्धित किसी भी आन्दोलन को सहन नहीं करेगी तथा ऐसी शरारतपूर्ण गतिविधियों से देश की स्थिरता में दरार डालने न देगी।"

इस बात पर मैं और डा० मुखर्जी पूर्णतया सहमत हैं। परन्तु यदि वह बंगाल की वर्तमान सीमाओं में हेर फेर करने की बात करते हैं तो यह सारे प्रश्न फिर उत्पन्न होंगे, न केवल पश्चिम में अपितु उत्तर में भी।

यह कहना आसान है कि इस समस्या का एक न एक तरफ फैसला किया जाय। मैं इसे ठीक ठीक समझ नहीं पाया हूं। एक विशेष मामले का फैसला किया जा सकता है। परन्तु जब समस्त भारत में प्रान्तों के पुनर्वितरण की बात हो तो उसका कैसे एक न एक तरफ निपटारा किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि आप इसके लिये कुछ सिद्धान्त निश्चित करें। परन्तु सिद्धान्तों की आपस में टक्कर हो जाती है। एक तरफ भाषा का प्रश्न है, दूसरी तरफ़ आर्थिक निर्भरता, वित्तीय मामलों आदि का सवाल है। इनका सन्तुलन करके ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। गत कुछेक वर्षों में भारत का मानचित्र ही बदल गया है परन्तु पुराने प्रान्त अधिकांश रूप से वैसे ही रहे हैं। निस्सन्देह यह भी बदल सकते हैं। परन्तु इसके लिये आप किसी विशिष्ट मामले को उठाइये। यदि यह उचित हो तो इस पर विचार कीजिये तथा यदि मुनासिब समझें तो कार्य रूप दीजिये परन्तु यह कहना कि यह सिद्धान्त सारे भारत पर लागू होना चाहिये, एक बेकार बात होगी।

भारत तथा चीन जैसे विस्तृत देशों में इस प्रकार की कठिनाइयों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। चीन में, फिर भी, उनकी एक ही लिखित भाषा है यद्यपि बोलने की भाषा में फ़र्क है। उन्होंने सारे देश को प्रदेशों में बांट कर प्रान्तों का झण्डा खत्म करने की कोशिश की है। तिब्बत, मंगोलिया जैसे स्वायत्तशासी क्षेत्रों को छोड़ के सारे देश को प्रदेशों में बांटा गया है। हो सकता है कि यह समस्या हमारे यहां उस से कुछ अधिक भिन्न तथा कठिन हो। परन्तु ऐसी बातें करना जिन से कि प्रान्तीयता की भावना

बढ़ जाय, निस्संदेह ही देश को कमजोर बना देगी । यह समस्या का एक पहलू है ।

दूसरा पहलू जो इतना ही महत्वपूर्ण है यह है कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण भाषायें है कोई भाषा चाहे अच्छी हो, अथवा बुरी हो, इसके साथ एक विशेष प्रकार के रहन सहन का ढंग तथा सोचने समझने का ढंग सम्बद्ध होता है । तथा यह उचित ही है कि सांस्कृतिक जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त होना चाहिये ।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि हमें भारत की सभी बोलियों, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हों प्रोत्साहन देना चाहिये । मैं इन्हें दबाने के पक्ष में नहीं हूं । बड़ी बड़ी भाषाएं तो अवश्य ही विकसित होनी चाहियें । जनता के विकास को उनकी बोलियों द्वारा ही प्रोत्साहन मिलना चाहिये । जिन राज्यों में एक से अधिक भाषायें हैं, वहां यह काम विभिन्न भाषाओं द्वारा हो होना चाहिये । मैं यह बात समझ नहीं पाता हूं कि किसी राज्य की राजनीतिक सीमाएं आवश्यक रूप से भाषा के आधार पर ही क्यों आधारित होनी चाहियें ? मैं समझता हू कि भाषावार प्रान्तों की मांग के पीछे भाषा का नहीं अपितु इस भावना का हाथ है कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है । इसका निवारण करना कुछ कठिन है । ऐसी भावना नहीं होनी चाहिये यह हमारे लिये बुरी है । ऐसा संकुचित दृष्टिकोण रख के बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता । इसका अर्थ यह होगा कि हम राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से न सोचते हैं और न ही कार्य करते हैं ।

संकुचित भावना पर . . .

चाहिये तथा ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिस से उस संकुचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिले । तो एक तरफ़ से हमें इस भावना को रोकना है तथा दूसरी तरफ से जन विकास को उनकी भाषा द्वारा बढ़ाना है । आप इन दोनों बातों का उचित संतुलन कर सकते हैं । दक्षिण में दो बड़े बहु-भाषा भाषी राज्य मद्रास तथा बम्बई हैं । मैं समझता हूं कि बहु-भाषा भाषी क्षेत्रों में विकास के लिये तथा एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिये अधिक अवसर है ।

कुछ सदस्यों ने हैदराबाद का विघटन करके इसे तीन हिस्सों में बांटने की वांछनीयता अथवा आवश्यकता का उल्लेख किया । मेरे विचार में हैदराबाद का विघटन करना अवांछनीय दुर्भाग्यपूर्ण तथा हानिकारक होगा । हो सकता है कि कुछ सदस्य इस बारे में मुझ से सहमत न हों । लेकिन वह तो एक भिन्न बात है । मैं उनके सद्भावों को चुनौती नहीं देता हूं और न ही मैं हमेशा के लिये ऐसा कहता हूं । मैं इस समय की तथा निकट भविष्य की बात कर रहा हूं तथा मेरा विचार है कि हैदराबाद का बंटवारा करने की किसी भी कोशिश से सारे दक्षिणी भारत का ढांचा अस्त-व्यस्त होगा । मेरा यही विचार है धीरे धीरे पुरःस्थापित होने में वर्षों लग जाते हैं । वहां आपको एक विशिष्ट प्रशासकीय तथा अन्य व्यवस्था मिलेगी । वास्तव में हमें इन प्रान्तों अथवा राज्यों की केवल प्रशासकीय इकाइयां ही समझना चाहिये था । अन्य मामलों में हम आवश्यक रूप से प्रान्तीय दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं ।

डा० एन० बी० खरे : क्या काश्मीर में राजतंत्र समाप्त करने से भारत के सम्पूर्ण ढांचे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या मैं सब से पहले यह निवेदन करूं कि माननीय सदस्य ने शब्द 'राजतंत्र' का जो प्रयोग किया है वह सही अथवा दुरुस्त नहीं है। भारत में कोई राजे महाराजे नहीं है। कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पहले ब्रिटिश शासन के अधीन अपने राज्यों में कुछ सीमित अधिकार प्राप्त था तथा वह सीमित अधिकार भी अब उन से गया है और उन्हें अब बिना किसी शक्ति अथवा अधिकार के एक प्रकार का सम्मानित स्थान दिया गया है।

मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि काश्मीर में राजतंत्र समाप्त करने से स्थिति कुछ ज्यादा अस्तव्यस्त होगी। यदि जहां तहां किसी व्यक्ति विशेष को—चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो—कुछ हो जाये तो उस से देश अस्तव्यस्त नहीं होता है। देश तब अस्तव्यस्त हो जाता है जब लाखों व्यक्तियों को कुछ हो जाये। परन्तु यदि काश्मीर में कोई ठीक क़दम उठाया गया हो तो स्वभावतः उसके परिणाम शेष भारत में भी पसंद किये जायेंगे।

जहां तक भाषावार प्रान्तों की रचना का सम्बन्ध है हम महसूस करते हैं कि बहुत से लोग विशेष कर दक्षिण भारत में इसके लिये ज़ोरदार मांग कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के सिलसिले में हम कार्यवाही करने के लिये बिल्कुल तैयार हैं परन्तु शर्त यह है कि मुख्य प्रश्नों पर सम्बन्धित पक्ष काफी हद तक सहमत होने चाहियें। अभी डा० लंकासुन्दरम ने बताया कि कोई भी आन्ध्र मद्रास नगर पर से अपना दावा नहीं हटा सकता है। मेरा विश्वास है कि तामिल क्षे से आये हुए सदस्य भी इतने ही ज़ोरदार शब्दों में इसका खंडन करेंगे। उन्हें आपस में मिल के इस झगड़े का निपटारा करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार को इस मामले में अकर्मण्य रहना चाहिये। मैं तो उन्हें इस झगड़े के निपटारे में सहायता देने के लिये बिल्कुल तैयार हूं परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं कैसे एक पक्ष को दूसरे पक्ष की मांग मानने के लिये विवश कर सकता हूं। ऐसा करना मेरे लिये कठिन है। और यदि मैं ऐसा करूं भी, तो भी इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस से जनता के हृदय में दुर्भावना तथा क्षोभ की एक छाप रह जाती है तथा वह अपने छिने हुये क्षेत्र को दूसरे प्रान्त से बाद में ले लेने की सोचेंगे। हम विशाल आन्ध्र महागुजरात तथा संयुक्त महाराष्ट्र की बातें करते हैं। यदि हम मानचित्र को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह एक दूसरे पर अतिछादी है। जब तक सिद्धान्त पर चर्चा चल रही होगी तब तक महागुजरात से आये लोग निस्सन्देह विशाल आन्ध्र के लिये अपना मत दे देंग आदि, आदि। परन्तु जब वह इन के मानचित्र देखेंगे तो वह वास्तविक समस्या पर आ जायेंगे। और जब वह वास्तविक समस्या पर भी जायेंगे तो चारों ओर झगड़े पैदा हो जायेंगे। हमें बताया जायगा कि सन् १००० ई० में महागुजरात यहां तक फैला हुआ था तथा राष्ट्रकूट के काल में महाराष्ट्र साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था। इसी तरह की बातें आन्ध्र के बारे में भी कही जायेंगी। यदि आन्ध्रवासी प्राचीन आन्ध्र साम्राज्य की सोचेंगे तथा महाराष्ट्रवासी पुराने महाराष्ट्र की सोचेंगे.....

डा० एन० बी० खरे: हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु मैं केवल

यह कहता हूं कि भाषावार प्रान्तों की बातें करने से तथा इतिहास की बातों को दुहराने से इस तरह की बातें अनिवार्य रूप से सोची जा सकती हैं। यह नहीं कि वह दूसरों पर छा जायें अपितु यह कि दूसरों के मुकाबिले में उनकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो। आप एक ही अतिछादी क्षेत्र को बांट कर दो प्रान्तों को नहीं दे सकते हैं। इसी तरह की कठिनाइयां हैं।

मुझे प्रभावित करने के लिये आन्दोलन करने की क्या आवश्यकता है ? मैं तो पहले ही इस से प्रभावित हूं। यदि आप एक आन्ध्रवासी हैं तो आप जाइये और तामिलों और अन्य सम्बन्धित पक्षों से बात चीत करिये। और यदि आवश्यक हो तो मैं भी बात चीत में शामिल हो जाऊंगा। यह नहीं कि मैं इस से दूर रहना चाहता हूं। जहां मैं इन के सम्बन्ध में पहले से ही प्रभावित हूं वहां मैं उत्तराखंड अथवा सिख प्रान्त जैसी मांगों के विरुद्ध हूं। मैं अपनी सीमाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: पश्चिमी बंगाल को एक नया प्रान्त बनाने का प्रश्न नहीं है। यह केवल सीमाएं ठीक करने का प्रश्न है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। वैसे तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि बंगाल तथा बिहार के बीच क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें जिस से कि लोग, शरणार्थी तथा अन्य एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में अप्रसन्न हों। मैं समझता हूं कि यह सारा एक ही देश है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में चारों ओर पूर्ण सहमति है। कुछ भी हो हम इस पर पृथक् रूप से विचार करेंगे; परन्तु इस पर भी सद्भावना से विचार करना होगा। क्योंकि इस में कठिनाई यह है कि ज्यों ज्यों एक पक्ष ज्यादा आन्दोलन करता जाती है त्यों त्यों दूसरा पक्ष ज्यादा कठोर बनता जाता है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसलिये तो हम आप का हस्तक्षेप चाहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरा हस्तक्षेप ? हस्तक्षेप नहीं मैं अपनी सहायता देने के लिये तैयार हूं, क्योंकि मैं भी यहां बैठे अन्य व्यक्तियों की तरह इन समस्याओं का हल करना चाहता हूं। परन्तु यह बात समझ ली जानी चाहियें कि इस प्रकार का एक पक्षीय आन्दोलन वास्तव में इन समस्याओं के हल में बाधक बन जाता है क्योंकि दूसरे प्रान्त की जनता उत्तेजित हो जाती है।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : जनमत संग्रह कराने में आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मद्रास के सम्बन्ध में मद्रासवासियों का जनमत संग्रह ?

डा० रामा राव: सभी विवादास्पद क्षेत्रों में।

श्री जवाहरलाल नेहरू: यदि सम्बन्धित राज्य ऐसा कराना मान लें तो यह हो सकता है। परन्तु जहां जनमत संग्रह का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

परिणाम सम्बन्धित पक्षों के लिये क्रमशः ४५ प्रतिशत तथा ५५ प्रतिशत अथवा इन दोनों के बीच का कोई प्रतिशत हो वहां फिर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सम्बन्धित पक्षों में दुर्भावना फैल जायेगी तथा आप सामान्यतया जनमत संग्रह द्वारा इसका निवारण नहीं कर सकते हैं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : क्या मैं इस बात का उल्लेख करूं कि सोवियत रूस में भी भाषाओं से सम्बन्धित यह सभी समस्याएं थीं तथा उन्होंने बड़े संतोषजनक ढंग से इन्हें हल किया है। उनकी प्रणाली अब गत ३० वर्ष से सफलतापूर्वक चल रही है ?

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : आन्ध्र के सम्बन्ध में पहिले ही एक विभाजन समिति थी तथा जैसे कि माननीय प्रधान मंत्री ने मान लिया है, मद्रास नगर जैसे कुछेक विषयों को छोड़ के बाकी सारे प्रश्न हल कर लिये गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो एक विषयों को कुछ समय के लिये उपस्थगित करके दरम्यानी काल में आन्ध्र प्रान्त बनाने में सरकार को कौन सी बाधा पेश आती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रो० साहा ने सोवियत संघ का जिक्र किया। मेरे विचार में वह बात यहां लागू नहीं होती है। निस्सन्देह उस से हमें कुछ कुछ सहायता मिल सकती है किन्तु ज्यादा नहीं। वर्तमान सोवियत संघ का प्रादुर्भाव कई वर्षों के गृह युद्ध, हत्याकांड तथा गोली कांड के परिणामस्वरूप हुआ। वहां सभी तरह की बातें हुईं। बाहर से आक्रमण भी हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में नवनिर्माण का कार्य एक तरह से ज्यादा आसान होता ह। दूसरे भारत सोवियत संघ की अपेक्षा अधिक संगठित ह। सोवियत संघ अब पहले की तरह एक साम्राज्य नहीं। यह रूस, साइबेरिया तथा अन्य देशों का एक संगठन है। उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक इकाई में परिवर्तित किया है तथा वह इस व्यवस्था से संतुष्ट भी हैं। दूसरे शब्दों में उनकी व्यवस्था स्वतंत्र गणराज्यों के संगठन के सिद्धान्त पर आधारित है। भारत की स्थिति इस से बिल्कुल भिन्न है। यहां तो स्वतंत्र गणराज्यों के संगठन के सिद्धान्त पर काम नहीं हो रहा है। हम उनकी अपेक्षा अधिक संगठित हैं। यह प्रश्न तभी उठेगा जब हम रूस की, न कि सोवियत संघ की भारत के साथ तुलना करेंगे। सोवियत संघ में बहुत से एशियाई क्षेत्र शामिल हैं जो कि एक ही नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इतने पर भी वहां सिद्धान्त तथा व्यवहार में फ़र्क है। सम्बन्ध विच्छेद का सिद्धान्त होते हुये भी वहां केन्द्रीय करण का काम बहुत हद तक आगे बढ़ गया है।

सरदार हुक्म सिंह : उत्तरी भारत के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री ने यह कह कर मामला खत्म किया है कि वहां कुछ लोग सिख राज्य बनाने की मांग कर रहे है। मुझे खेद है कि सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई किये बिना ही फैसला दिया गया है। ऐसा क्यों अनुमान लगाया गया है कि सिख राज्य की मांग की जा रही है ? ~~यह पूर्वधारणा~~ हो गलत है। किसी ने यह मांग नहीं की है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य की घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं क्षण भर के लिये भी यह नहीं कहता हूं कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी मांग की है।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : भाषावार प्रांतों की रचना से न केवल पारस्परिक

विरोध बढ़ेगा तथा दुर्भावना फैल जायगी अपितु इस से राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीयता का भी अहित होगा। भाषावार प्रांतों के निर्माण से असहिष्णुता बढ़ जायगी तथा अल्पसंख्यकों की समस्याएं पैदा होंगी। प्रादेशिक भाषा बोलने वाली जनता दूसरे लोगों को परदेसी मान कर उन से घृणा करने लगेगी। इसका दृष्टान्त हमें रामनाद तथा कोयम्बटोर जिलों में तेलुगू भाषी जनता में मिलता है। तामिल वाले उन से वहां घृणा करते हैं। इसी तरह उड़ीसा के कुछेक जिलों में भी लोग अप्रसन्न हैं।

केवल भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनाना एक हानिकारक बात है। भौगोलिक सामीप्य तथा प्रशासकीय सुविधा के लिये अलग प्रांत बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि हम प्रस्तुत संकल्प को स्वीकार करेंगे तो भारत का सम्पूर्ण मानचित्र बदल जायगा। देश के टुकड़े टुकड़े होंगे। इस काम के लिए यह उचित अवसर भी नहीं है।

मैं रायलासीमा से आया हूं। रायलासीमा की जनता उस जिले को प्रस्थापित आन्ध्र प्रांत में शामिल करने के विरुद्ध रही है। उनकी कुछ आशंकायें हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती हैं। वह आर्थिक तथा राजनीतिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं तटीय जिलों के लोग जो सभी क्षेत्रों में उन से आगे बढ़े हुए हैं उनका शोषण न करें तथा विधान सभाओं, सेवाओं तथा विकास परियोजनाओं पर छा न जायें। वैसे तो रायलासीमा तथा पांच तटीय जिलों में १९३७ में एक करार भी हुआ था जिसमें रायलासीमा की जनता के हितों के संरक्षण के लिए कुछ शर्तें रखी गई थीं। लेकिन इस करार के बावजूद मतभेद दूर नहीं हुए हैं। अनन्तपुर कालिज ने आन्ध्र विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध-विच्छेद किया है तथा वह अब मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस से स्पष्ट है कि आन्ध्रवासियों तथा रायलासीमा की जनता में कोई सुमेल नहीं है। विभाजन आयोग ने भी बहुत से ऐसे प्रश्नों का जिक्र किया है जिनका निपटारा करना अभी बाकी है। बेल्लारी, चित्तूर, चिंगलपुट, उत्तरी अरकाट तथा सलेम के जिलों में सीमा-निर्धारण के झगड़े हैं। इनके कई क्षेत्रों पर सभी पक्ष अपना अपना दावा करते हैं। इस झगड़े को सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा आर्थिक कठिनाई का प्रश्न है। रायलासीमा, चाहे इसका इतिहास कितना ही शानदार क्यों न रहा हो, आज एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें बहुत सी छोटी-बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसका आर्थिक विकास निश्चित होना चाहिए, तभी वहां चिरदुर्भिक्ष का निवारण हो सकता है। इस काम में काफी धन लगेगा। यदि आंध्र प्रांत बन भी गया तो यह एक घाटे का प्रांत होगा। रायलासीमा इस के साथ रह कर क्या हासिल कर सकेगा? इस की परियोजनाएं बेकार पड़ी रहेंगी। इस विभाजन से रायलासीमा बर्बाद हो जायगा। रायलासीमा की आशाएं अविभाजित मद्रास के साथ ही बंधी हुई हैं। मद्रास अब हमारी सहायता पर आ रहा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे रायलासीमा मद्रास के समीप है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आन्ध्र प्रांत के अविलम्ब निर्माण तथा इस में रायलासीमा को शामिल करने का सर्वथा विरोध करते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान, सदन के स्थगित होने से पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि यह वाद-विवाद कब फिर जारी रहेगा ? वाद-विवाद के तारतम्य को बनाये रखने के लिए इसे ज्यादा अवधि के लिए उपस्थगित नहीं किया जाना चाहिए । इस संकल्प पर वाद विवाद जारी रखने के लिए हो सकता है, हमें शनिवार को भी बैठना पड़े ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): हम इस मामले पर विचार करेंगे तथा निकट भविष्य में ही सदन की सूचना दे देंगे ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यदि शनिवार की बैठक पर कोई आपत्ति होगी तो हम अपरान्ह को आ सकते हैं तथा इस वाद-विवाद को समाप्त कर सकते हैं । यदि माननीय मंत्री मान जायें, तो कल अपरान्ह को सदन की बैठक हो सकती है ।

डा० काटजू : मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं । हम कल कुछ बता सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बाद विवाद को यथा संभव शीघ्र ही समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं । सरकार इस मामले पर विचार करेगी तथा सदन को अपनी राय से कल अवगत करेगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ८ जुलाई १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—429 PSE 17-7-53—235